

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
कमांक / भू.अ. / 2025 / 572

दिनांक 28/4/25

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. उगराराम 2. उतमाराम पि. हरचन्द 3. कववाराम पुत्र भेराराम 4. जोगीदेवी पत्नि भेराराम 5. रेखीदेवी पत्नि भगाराम 6. रूगाराम पुत्र हरचन्द 7. मुकेश 8. मुलाराम 9. श्रीराम पि. भगाराम प्रार्थी सं. 7 से 9 नाबालिग की वली माता रेखीदेवी पत्नि भगाराम जातियान जाट निवासी ओजिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर	1. खूमाराम 2. करनाराम 3. अचलाराम पि. नीम्बाराम 4. लाछी पत्नी पूनमाराम 5. केंसाराम पुत्र पूनमाराम 6. अचलाराम 7. नेनाराम पि. भीयाराम 8. फगलुराम 9. आदूराम पि. भूराराम 10. मीरोदेवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी ओजिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार धनाऊ

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन 230 / 2024

दिनांक 28.04.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला मौजा ओजिया के खेत खसरा सं. 431 / 295 रकबा 6.8392 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



कमांक / भू.अ. / 2025 / 573 10 576

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, धनाऊ
2. प्रार्थी उगराराम पुत्र हरचन्द व अन्य।
3. विप्रार्थीगण खूमाराम पुत्र नीम्बाराम व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन / बीजराड / धोरीमना / धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 28/4/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन